



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022026-270482
CG-DL-E-25022026-270482

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 958]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 2026/फाल्गुन 5, 1947

No. 958]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24, 2026/PHALGUNA 5, 1947

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2026

का.आ. 1002(अ).— भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद (पशु-चिकित्सा महाविद्यालयों और पशु चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता तथा मान्यता वापस की प्रक्रिया) नियम, 2017 के नियम 10 के उप-नियम (5) के साथ पठित, भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 की सं. 52) की धारा 15 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से परामर्श करके, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिनियम, 1984 की पहली अनुसूची में, उप-शीर्षक "डिग्री" के अंतर्गत, क्रमांक 75 पर, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर से संबंधित मद (iii) के कॉलम 3 के अंतर्गत, वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:-

“(i) बी.बी.एससी. एवं ए.एच.

(यह अर्हता उपर्युक्त अनुसार मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता तभी मानी जाएगी जब इसे दिनांक 19 जनवरी, 2011 को

या उसके बाद तथा दिनांक 24 जुलाई, 2015 को या उससे पहले अनुदत्त किया गया हो); या

“(ii) बी.वी.एससी. एवं ए.एच.

(यह अर्हता केवल दिनांक 20 जुलाई, 2027 को या उसके बाद अनुदत्त किए जाने पर ही एक मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता मानी जाएगी।)

[फा. सं. K-12052-9/3/2019-LH]

आर एस सिन्हा, अपर सचिव

नोट- भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की पहली अनुसूची में अंतिम संशोधन दिनांक 20 नवंबर, 2025 की अधिसूचना संख्या का.आ.5313(अ), के माध्यम से किया गया

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2026

S.O. 1002(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 15 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), read with sub-rule (5) of rule 10 of the Veterinary Council of India (Procedure for recognition and de-recognition of Veterinary Colleges and Veterinary Qualifications) Rules, 2017, the Central Government, after consulting the Veterinary Council of India, hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely:—

In the First Schedule to the said Act, 1984, under sub-heading “DEGREES”, in serial number 75, relating to Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences, Bikaner, against item (iii), under column 3, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

“(i) B.V.Sc. & A.H.

(This qualification shall be a recognized veterinary qualification as aforesaid only when granted on or after the 19th January, 2011 and on or before the 24th July 2015); or

“(ii) B.V.Sc. & A.H.

(This qualification shall be a recognized veterinary qualification only when granted on or after the 20th July, 2027).”

[F. No. K-12052-9/3/2019-LH]

R S SINHA, Addl. Secy.

Note.— The First Schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984 was last amended *vide* notification number S.O.5313(E), dated the 20th November, 2025.